न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 65/2021 तारीख दायर :–06.10.2021 दिनांक निर्णय :–27.10.2021

निर्णय

2021/118

पटवारी हल्का नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.बाबूलाल पुत्र रामदास जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर
2.महेन्द्र पुत्र रामदास जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर
3.लीलाराम पुत्र रामदास जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नयागाव बोलका द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आश्य की पेश की गई कि गैरसायलान बाबूलाल, महेन्द्र, लीलाराम पुत्रान रामदास जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा ग्राम नयागाव बोलका के आ0ख0न0 6 रकबा 2.75 हे0 में से 1.00 हे0 किस्म चारागाह बारानी–3 भूमि पर सम्वत् 2078 के फसल खरीफ में जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जर्ये सम्मन तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से नियत तारीख पेशी पर लीलालराम पुत्र रामदास जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर उपस्थित आया जिसको जवाब हेतु समय चाहे जाने समय दिया गया। इसके बावजूद भी गैरसायलान की ओर से कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायलान के विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सरह लगान 4 रूपये का 50 गुणा राशि 200/– रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा को राजस्व लेखों में मांग कायमी एवं गिरदावर थानाराजाजी/पटवारी हल्का नयागाव बोलका को वसूली व बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर बाद तकमील लेख भण्ड़ार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेंरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 23 पर न्या.पं. 200/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार